"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 7 मई 2026 — वैशाख 17, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक 8192/Rules/2026.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 तथा भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र 46 सन् 2023) की धारा 523 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ के राज्यपाल के अनुमोदन से और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दंडित अपील क्रमांक 2973/2023 मनोजभाई जेठभाई परमार (रोहित) विरुद्ध गुजरात राज्य मे घोषित निर्णय दिनांक 15.12.2025 के अनुपालन में, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ नियम एवं आदेश (अपराधिक) में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 240 के बाद, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

"नियम 240-क : सभी निर्णयों में सारणीबद्ध चार्ट तैयार करनाः (1) दांडिक मामलों की सुनवाई करने वाले सभी विचारण न्यायालय, निर्णय के निष्कर्ष पर, निम्नलिखित का सारांश प्रस्तुत करते हुए सारणीबद्ध चार्ट समाविष्ट करेंगे,

(क) परीक्षित साक्षी,

(ख) प्रदर्शित दस्तावेज, और

(ग) प्रस्तुत एवं प्रदर्शित भौतिक वस्तुएं (मुद्दमाल) और ये चार्ट निर्णय का एक परिशिष्ट या समापन खंड होंगे और इन्हें स्पष्ट, क्रमबद्ध और आसानी से समझ में आने वाले प्रारूप में तैयार किया जाएगा।

(क) साक्षियों का मानक चार्ट: प्रत्येक दांडिक निर्णय में साक्षियों का एक चार्ट होगा जिसमें कम से कम निम्नलिखित कॉलम होंगे,-

(i) सरल क्रमांक

(ii) साक्षी का नाम

(iii) साक्षी का संक्षिप्त विवरण/भूमिका, जैसे सूचनादाता, चक्षुदर्शी साक्षी, चिकित्सा विधिवेत्ता/चिकित्सक, अन्वेषण अधिकारी, पंच साक्षी आदि ।

विवरण संक्षिप्त लेकिन साक्षी की साध्यात्मक प्रकृति को इंगित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह क्रमबद्ध प्रस्तुति साक्ष्य की प्रकृति का त्वरित संदर्भ उपलब्ध कराएगी, अभिलेख में साक्षी को खोजने में सहायता करेगी और अस्पष्टता को कम करेगी।

परीक्षित साक्षियों के लिए नमूना चार्ट

अभियोजन साक्षी क्र.	साक्षी का नाम	विवरण
1.	श्री 'भ'	चक्षुदर्शी साक्षी
2.	श्री 'म'	अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति का साक्षी
3.	सुश्री 'य'	चिकित्सा विधिवेत्ता
4.	श्री 'क'	अन्वेषण अधिकारी
5.	श्री 'ख'	परिवादी/प्रथम सूचनादाता

(ख) प्रदर्शित दस्तावेजों का मानक चार्ट : विचारण के दौरान प्रदर्शित सभी दस्तावेजों के लिए एक पृथक चार्ट तैयार किया जाएगा। इस चार्ट में शामिल होंगे,-

(i) प्रदर्श क्रमांक;

(ii)दस्तावेज का विवरण;

(iii) वह साक्षी जिसने दस्तावेज को प्रमाणित या अनुप्रमाणित किया।

उदाहरण के तौर पर, विवरण में शामिल हो सकते हैं: प्रथम सूचना प्रतिवेदन, शिकायत, पंचनामा, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन, जब्ती पत्रक, नजरी नक्शा, मृत्युकालिक कथन, आदि।

दस्तावेज को प्रमाणित करने वाले साक्षी का उल्लेख करने की आवश्यकता प्रमाण का पता लगाए जाने की सुविधा सुनिश्चित करती है और न्यायालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (क्र.1 सन् 1872) / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (क्र.47 सन् 2023) के अनुपालन का मूल्यांकन करने में सहायता करती है।

प्रदर्शित दस्तावेजों के लिए नमूना चार्ट

प्रदर्श क्र.	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा प्रमाणित /अनुप्रमाणित
1	मृत्यु-समीक्षा पंचनामा/ज्ञापन	अ.सा.-1
2	बरामदगी पंचनामा/ज्ञापन	अ.सा.-2
3	गिरफ्तारी पत्रक	अ.सा.-3
4	शव परीक्षण प्रतिवेदन	अ.सा.-4
5	विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन	अ.सा.-5

(ग) भौतिक वस्तुओं/मद्दामाल का मानक चार्ट: जब भी भौतिक वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं और प्रदर्श के रूप में चिह्नित की जाती हैं, तो विचारण न्यायालय निम्नलिखित विवरण के साथ एक तीसरा चार्ट तैयार करेगा:

(i) भौतिक वस्तु (M.O.) क्रमांक;

(ii) वस्तु का विवरण;

(iii) वह साक्षी जिसने वस्तु की सुसंगता प्रमाणित किया (जैसे: हथियार, कपड़े, औजार, पंचनामा के अनुसार जब्त की गई वस्तु, आदि)।

यह उन भौतिक साक्ष्यों के संबंध में स्पष्टता सुनिश्चित करती है जिन पर अवलंब लिया गया है।

भौतिक वस्तुओं/मद्दामाल के लिए नमूना चार्ट

भौतिक वस्तु (M.O.) क्रमांक;	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा प्रमाणित /अनुप्रमाणित
1	अपराध में प्रयुक्त हथियार	अ.सा.-1
2	अभियुक्त/पीड़ित के कपड़े	अ.सा.-2
3	मोबाइल फोन/इलेक्ट्रॉनिक वस्तु	अ.सा.-3
4	वाहन	अ.सा.-4
5	पर्स/बलियां/पहचान पत्र	अ.सा.-5

(2) अत्याधिक साक्ष्य वाले मामलों के लिए विशेष प्रावधानः जटिल मामलों में, जैसे कि षड्यंत्र, आर्थिक अपराध या ऐसे विचारण जिनमें विस्तृत मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हों, साक्षियों और प्रदर्शों की सूची काफी लंबी हो सकती है। जहाँ साक्षियों या दस्तावेजों की संख्या असामान्य रूप से अधिक है, वहाँ विचारण न्यायालय मात्र महत्वपूर्ण, सुसंगत तथा जिनका अवलंब लिया गया है, ऐसे साक्षियों एवं दस्तावेजों के लिए ही चार्ट तैयार कर सकता है, और ऐसी दशा में यहा स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा कि यह चार्ट केवल ऐसे साक्षियों एवं दस्तावेजों तक सीमित है।

(3) बचाव पक्ष के साक्षियों और साक्ष्य पर लागू होनाः उपर्युक्त निर्देश, यथोचित परिवर्तन सहित, बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित सभी साक्षियों और प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों पर लागू होंगे।

(4) नमूना प्रारूप को अपनाना और अनुमत विचलनः यहाँ प्रदान किए गए नमूना चार्ट सामान्यतः राज्य के विचारण न्यायालयों द्वारा पालन किए जाने वाले मानक प्रारूप के रूप में काम करेंगे।

Bilaspur, the 29th April 2026

NOTIFICATION

F. No. 8192/Rules/2026.— In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India and Section 523 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), the High Court of Chhattisgarh, with the approval of the State Government and incompliance of the Judgment dated 15.12.2025 passed by Hon'ble Supreme Court in Criminal Appeal No. 2973/2023, Manojbhai Jethabhai Parmar (Rohit) V/s State of Gujrat, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Rules and Orders (Criminal), namely:-

AMENDMENTS

In the said Rules,-

After Rule 240, following rule shall be inserted, namely:-

"**Rule 240A: Preparation of Tabulated Charts in all the judgments**.- (1). All trial Courts dealing with criminal matters shall, at the conclusion of the judgment, incorporate tabulated charts summarizing,

a. Witnesses examined,

b. Documents exhibited, and

c. Material objects (muddamal) produced and exhibited,

and these charts shall form an appendix or concluding segment of the judgment and shall be prepared in a clear, structured and easily comprehensible format, as follows,

(a) Standardized Chart of Witnesses: Each criminal judgment shall contain a witness chart